रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225713 CG-DL-E-08032021-225713

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

No. 119]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2021/फाल्गुन 17, 1942 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/PHALGUNA 17, 1942

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

सं. 05/2021-केन्द्रीय कर

सा.का.िन. 160(अ).—केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020 - केंद्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020, जिसे सा.का.िन. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था में, निमंलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी, शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[फा. सं. सी.बी.ई.सी.-20/13/01/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

1433 GI/2021 (1)

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 21 मार्च 2020 को सा.का.िन. 196 (अ), दिनांक 21 मार्च 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और उसका अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्या 88/2020 - केंद्रीय कर, दिनांक 10 नवंबर 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. 704(अ) दिनांक 10 नवंबर 2020, के द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2021

No. 05/2021-Central Tax

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2020 – Central Tax, dated the 21st March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 196(E), dated 21st March, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, with effect from the 1st day of April, 2021, for the words "one hundred crore rupees", the words "fifty crore rupees" shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/13/01/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 13/2020–Central Tax, dated the 21st March, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 196(E), dated 21st March, 2020 and was last amended *vide* notification No. 88/2020-Central Tax, dated the 10th November, 2020, published *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 10th November, 2020.